राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 28 जनवरी, 1981

क्रमांक **2361-ज-I-80/3006**.—श्री तोता राम, पुत्र श्री बालू राम, गांव गोठरा, तहसील लोहारु, जिला भिवानी, की दिनांक 12 अगस्त, 1980 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तोता राम को मुल्लिग 300 रु० वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1332-र-III-67/1458, दिनांक 8 मई, 1967 तथा 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती जमना देबी के नाम रबी, 1980, से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **2332-ज(I)-80/3010**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सोहन लाल, पुत्र श्री हर सहाए, गांव मालड़ा, तहसील महेन्द्रगढ़, जिला नारनौल को रबी, 1976 से खरीफ, 1979 तक 200 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 350 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **2333-ज-(I)-80/3014**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सन्त सिंह, पुत्र श्री सुन्दर सिंह, गांव राजौली, तहसील व जिला अम्बाला, को खरीफ, 1974 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **2390-ज-(I)-80/3018**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री चूनी लाल, पुत्र श्री बशेशर नाथ, गांव खानपुर राजपुतां, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को खरीफ, 1970 से खरीफ 1973 तक 150 रु० वार्षिक तथा रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक 200 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 350 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **34-ज(I)-80/3022**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मिलखा सिंह, पुत्र श्री लाल सिंह, गांव रायेवाली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **2394-ज(I)-80/3026**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मेहर सिंह, पुत्र श्री भोला सिंह, गांव मोहड़ा, तहसील व जिला अम्बाला, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 350 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **2388-ज(I)-80/3030**.—श्रीमती धर्म कौर, विधवा श्री पूर्ण सिंह, गांव गणेशपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, की युद्ध जागीर जो उसे हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 2507-ज-I-75/30370, दिनांक 8 अक्तूबर, 1975 द्वारा रबी, 1969 से 100 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की गई थी खरीफ, 1974 से मंसूख की जाती है ।